राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय

क्रमांकः प0 9 (5)सम्पर्क/मेडि./2017–18/ जयपुर, दिनांकः–

समस्त
उप निदेशक/सहायक निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के संबंध में आवश्यक निर्देश।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के बिन्दु संख्या 301 की अनुपालना में राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम बीमा सुविधा को केशलैस किये जाने की घोषणा की गई है अर्थात अधिस्वीकृत पत्रकारों से कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जावेगी।

उक्त संबंध में वित्त (व्यय 5) से विभाग की संचायिका पर प्राप्त स्वीकृति संख्या 331700569 दिनांक 02.08.2017 के आदेशानुसार केशलैस मेडिक्लेम बीमा प्रीमियम की शत प्रतिशत राशि का भुगतान राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से वहन किया जावेगा।

केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के प्रस्ताव

बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष में उपलब्ध निधियों व आय–व्यय को ध्यान में रखते हुए योजना का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्ति पश्चात राज्य में समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु समान रूप से 3 लाख रूपये की केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की सुविधा प्रदान की गई है।

जिलों में पदस्थापित समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों को केशलैस मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र ''परिशिष्ट–क'' संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। जिसका भलीभांति अवलोकन कर जिले के समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को सूचित करते हुए आवेदन फार्म भरने से वंचित रहे जिले के अवशेष अधिस्वीकृत पत्रकारों से संलग्न आवेदन पत्र भरवाकर फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज यथा पत्नी, बच्चों व माता–पिता के आयु संबंधित प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिमारी की स्थिति में चिकित्सक प्रमाण पत्र एवं नवीनतम अधीस्वीकरण कार्ड की छायाप्रति तथा पत्नी व माता–पिता के आश्रित होने संबंधी प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर निदेशालय को भिजवाये जाने है। यह ध्यान रहे की प्रपत्र में चाही गई जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है तथा कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए यह भी सुनिश्चित किया जावें।

संलग्नः– आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट–क

6830–63
12/3/18

संयुक्त निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः– एनलिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को सेट विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक

परिशिष्ट–क

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय

क्र. सं.	पत्रकार/आश्रित का नाम	अधिस्वीकरण कार्ड संख्या	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम एवं पदस्थापन का स्थान	वर्तमान पता	स्थाई पता	जन्म तिथि	आयु	आश्रित का पत्रकार से संबंध	वार्षिक आय	वर्तमान में किसी बिमारी से ग्रसित है अथवा नहीं	यदि बिमार है तो बिमारी की अवधि
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											

विशेष नोटः–

1. नवीनतम अधिस्वीकरण कार्ड की छायाप्रति।
2. 21 वर्ष से कम आयु के दो बच्वें मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होगें।
3. माता–पिता जिनकी आय 2000/– रूपये प्रमिमाह से कम हो तथा वे संबंधित पत्रकार पर आश्रित हो, मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के लिए पात्र होगें।
4. संबंधित पत्रकार द्वारा आश्रितों की जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. वर्तमान/स्थाई पते संबंधी फोटो आई.डी. प्रस्तुत करनी होगी।
6. पत्रकार स्वयं एवं आश्रितों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
7. बिमारी की स्थिति में संबंधित डॉक्टर का प्रमाण पत्र।
8. पत्रकार स्वयं की ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर भी अंकित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं सही है एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि/असत्य के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं।

स्थानः–

दिनांकः–

हस्ताक्षर
(पत्रकार का नाम)
अधिस्वीकरण कार्ड संख्या